

तिथिबद्ध

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

प्राचार्य,

1. राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालय।
2. राज्य में स्थित सभी अराजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय।

यादि क्रमांक 27/69-2017 तम (2)  
दिनांक, पंचकूला 27.7.2017

विषय : पहली बार निर्वाचकों पर फोकस करते हुए निर्वाचकों को पंजीकृत करने का विशेष अभियान (18-21 वर्ष के आयु वर्ग में युवा भारतीय नागरिक) बारे।


\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

मुझे यह निर्देश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चण्डीगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक निर्वाचन-2017/5एई-3401, दिनांक 12.7.2017 की प्रति आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध करूं कि आपकी संस्था में इस वर्ष नये दाखिल हुये विद्यार्थियों का डाटा सम्बन्धित जिला निर्वाचन कार्यालयों को तुरन्त उपलब्ध करवायें ताकि ऐसे विद्यार्थियों के नाम भी मतदाता सूची में दिनांक 31.7.2017 से पूर्व दर्ज करने बारे कार्यवाही की जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

  
अधीक्षक तालमेल 27/07/17  
कृते: निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,  
पंचकूला।

2501/20(2)  
13/7/17



OFFICE OF  
CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

क्रमांक निर्वाचन 2017/एई-3401 दिनांक 12-7-2017

महा में

प्रधानमंत्री  
इसरोत शिक्षा विभाग,  
हरियाणा, पंचकुला

~~Handwritten signature and initials~~  
DHE  
12-07-17

D.D. Coold

विषय: प्रस्तावित निर्वाचनों पर फाकम स्तर पर निर्वाचकों को पंजीकृत करने का  
विषयक निर्देशन - 18-21 वर्ष के आयु वर्ग में युवा भारतीय नागरिकों को

प्रस्तावित विषय पर राज आपको यह कदम के निर्देश दिए हैं कि भारत निर्वाचन  
अधिनियम 1950 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2017 से 31.07.2017 तक 18-21 वर्ष के आयु वर्ग  
में युवा भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में दर्ज किया जाना है। आपके अधीन सभी शिक्षण  
संस्थानों में इस आयु वर्ग वर्गीकृत हो विद्यार्थियों का डेटा उपलब्ध है।  
अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीन जिला स्तर के सभी शिक्षण  
संस्थानों के प्रधान/अध्यक्षों का आदेश दें कि वे अपने रिकार्ड संवन्धित जिला निर्वाचन  
कार्यालयों को दिनांक 18.07.2017 तक अवश्यमंच उपलब्ध करवाएं ताकि एम विद्यार्थियों के  
नाम भी मतदाता सूची में 31.07.2017 से पूर्व दर्ज करने को कार्यवाही की जा सके।

भाषा: हिंदी

यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

दिनांक: 12-7-2017

पु क्रमांक निर्वाचन 2017/एई-3402

विषय: प्रस्तावित निर्वाचनों पर फाकम स्तर पर निर्वाचकों को पंजीकृत करने का  
विषयक निर्देशन - 18-21 वर्ष के आयु वर्ग में युवा भारतीय नागरिकों को  
प्रस्तावित विषय पर राज आपको यह कदम के निर्देश दिए हैं कि भारत निर्वाचन  
अधिनियम 1950 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2017 से 31.07.2017 तक 18-21 वर्ष के आयु वर्ग  
में युवा भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में दर्ज किया जाना है। आपके अधीन सभी शिक्षण  
संस्थानों में इस आयु वर्ग वर्गीकृत हो विद्यार्थियों का डेटा उपलब्ध है।  
अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीन जिला स्तर के सभी शिक्षण  
संस्थानों के प्रधान/अध्यक्षों का आदेश दें कि वे अपने रिकार्ड संवन्धित जिला निर्वाचन  
कार्यालयों को दिनांक 18.07.2017 तक अवश्यमंच उपलब्ध करवाएं ताकि एम विद्यार्थियों के  
नाम भी मतदाता सूची में 31.07.2017 से पूर्व दर्ज करने को कार्यवाही की जा सके।

यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

दिनांक: 12-7-2017

पु क्रमांक निर्वाचन 2017/एई-3403

विषय: प्रस्तावित निर्वाचनों पर फाकम स्तर पर निर्वाचकों को पंजीकृत करने का  
विषयक निर्देशन - 18-21 वर्ष के आयु वर्ग में युवा भारतीय नागरिकों को  
प्रस्तावित विषय पर राज आपको यह कदम के निर्देश दिए हैं कि भारत निर्वाचन  
अधिनियम 1950 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2017 से 31.07.2017 तक 18-21 वर्ष के आयु वर्ग  
में युवा भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में दर्ज किया जाना है। आपके अधीन सभी शिक्षण  
संस्थानों में इस आयु वर्ग वर्गीकृत हो विद्यार्थियों का डेटा उपलब्ध है।  
अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीन जिला स्तर के सभी शिक्षण  
संस्थानों के प्रधान/अध्यक्षों का आदेश दें कि वे अपने रिकार्ड संवन्धित जिला निर्वाचन  
कार्यालयों को दिनांक 18.07.2017 तक अवश्यमंच उपलब्ध करवाएं ताकि एम विद्यार्थियों के  
नाम भी मतदाता सूची में 31.07.2017 से पूर्व दर्ज करने को कार्यवाही की जा सके।

यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

दिनांक: 12-7-2017

Handwritten notes and signatures on the right margin:  
13/7  
14/7  
14.7.17  
RKC

DHE & Spl. Secy.  
No. 419-Ord  
Date 12-7-17